न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :–	संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :–	95/2012
दायर दिनांक :–	05.11.2012
निर्णय दिनांक :–	09.12.2022

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र धन्ना (मृतक के बजाय)
   - 1.1 लल्लू पुत्र रामस्वरूप जाति कीर निवासी कीर मौहल्ला दौसा जिला दौसा।
   - 1.2 रामप्रताप पुत्र रामस्वरूप जाति कीर निवासी कीर मौहल्ला दौसा जिला दौसा।
   - 1.3 कल्याणसहाय पुत्र रामस्वरूप जाति कीर निवासी कीर मौहल्ला दौसा जिला दौसा।
   - 1.4 किशनलाल पुत्र रामस्वरूप जाति कीर निवासी कीर मौहल्ला दौसा जिला दौसा।
   - 1.5 रामधन पुत्र रामस्वरूप जाति कीर निवासी कीर मौहल्ला दौसा जिला दौसा।
   - 1.6 गंगाबक्श पुत्र रामस्वरूप जाति कीर निवासी कीर मौहल्ला दौसा जिला दौसा।
2. लड्डो पत्नि नानगा (मृतक नाम हजफ)
3. सूरज पुत्र नानगा जाति कीर निवासी कीर मौहल्ला दौसा जिला दौसा।
4. छोटेलाल पुत्र नानगा जाति कीर निवासी कीर मौहल्ला दौसा जिला दौसा।
5. गेन्दीलाल पुत्र नानगा जाति कीर निवासी कीर मौहल्ला दौसा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. महादेव पुत्र नारायण जाति कीर निवासी कीर मौहल्ला बावडी पाडा दौसा।
2. कन्हैया पुत्र नारायण जाति कीर निवासी कीर मौहल्ला बावडी पाडा दौसा।
3. घनश्याम पुत्र महादेव जाति कीर निवासी कीर मौहल्ला बावडी पाडा दौसा।
4. मुकेश पुत्र कन्हैया जाति कीर निवासी कीर मौहल्ला बावडी पाडा दौसा।
5. रमेश पुत्र कन्हैया जाति कीर निवासी कीर मौहल्ला बावडी पाडा दौसा।
6. बब्लू पुत्र महादेव जाति कीर निवासी कीर मौहल्ला बावडी पाडा दौसा।
7. कोली विकास संस्था दौसा जरिये अध्यक्ष कोली विकास संस्था शिव मंदिर (कोली समाज) शिव सर्किल लालसोट रोड दौसा।
8. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 95/2012

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर किया गया है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके दौसा कलां में स्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा नंबर 2980 रकबा 0.58 है0, खसरा नंबर 2985 रकबा 0.98 है0, खसरा नंबर 2986 रकबा [illegible] है0, खसरा नंबर 2987 रकबा 1.05 है0, खसरा नंबर 2988 रकबा 0.36 है0 प्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व की भूमि है। उक्त भूमि पर आज भी मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा है। प्रार्थीगण ने

लगातार ....2....

उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 2980 रकबा 0.58 है0 के चारों तरफ बाउण्ड्री बना रखी है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज रह कर अपने उपयोग उपभोग मे लेते चले आ रहे है। उक्त भूमि के सैटलमेन्ट पूर्व खसरा नम्बर 1110 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा थे, जिसका खातेदार व काबिजकाश्तकार प्रार्थी नम्बर 1 व नानगा पुत्र धन्ना जाति कीर निवासी दौसा था। नानगा की मृत्यु हो गई है। जिसके वारिस वादी नम्बर 2 लगायत 5 है। उक्त साबिक खसरा नम्बर 1110 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा के सेटलमेन्ट पूर्व एवं एकीकरण पूर्व के नक्शे अनुसार नये नक्शे में बने नये नम्बरों के रकबे पर उक्त नक्शे की स्थिति अनुसार मौके पर बने नये नम्बरों पर मौके पर आज भी प्रार्थीगण काबिज है। सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नम्बर 1110 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा के एकीकरण पूर्व खसरा नम्बर 2460 मिन 1 बीघा 5 बिस्वा, 2461 मिन 11 बीघा 2 बिस्वा 2466/5 मिन 17 बिस्वा 2467 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा थे। एकीकरण के पूर्व नम्बरान् से एकीकरण के बाद व सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नम्बर 1110 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 1110 नक्शा ट्रेस अनुसार सेटलमेन्ट बाद उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 2980 रकबा 0.58 है0, खसरा नंबर 2985 रकबा 0.98 है0, खसरा नंबर 2986 रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 2987 रकबा 1.05 है0, खसरा नंबर 2988 रकबा 0.36 है0 बने। उक्त नये नम्बरों के सम्पूर्ण रकबे पर मौके पर आज भी प्रार्थीगण काबिज है। प्रार्थी रामस्वरूप ने उक्त भूमि में अपना रहवास भी बना रखा है। सेटलमेन्ट अधिकारियो व कर्मचारियों को सेटलमेन्ट की पूर्व जमाबंदी व सेटलमेन्ट के नक्शे अनुसार नई जमाबंदी व नया नक्शा बनाना चाहिये था। सेटलमेन्ट पूर्व के खसरा नम्बर 1110 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा के नक्शा ट्रेस व खसरा नम्बर 1110 के एकीकरण के पूर्व के नक्शा ट्रेस व वर्तमान नक्शा ट्रेस को मिलाकर देखे तो स्पष्ट जाहिर होता है कि सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नम्बर 1110 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा से नये खसरा नम्बर 2980 रकबा 0.58 है0, खसरा नंबर 2985 रकबा 0.98 है0, खसरा नंबर 2986 रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 2987 रकबा 1.05 है0, खसरा नंबर 2988 रकबा 0.36 है0 बने है। जिस पर मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा है, किन्तु सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कानून के विपरीत उक्त नये नम्बरों को चरागाह के रूप में अंकित कर दिया एवं मिलान क्षेत्रफल में उक्त नये नम्बरों को दीगर नम्बर से बनना बता दिया, जबकि वास्तव में उक्त वर्तमान खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 1110 से बने है। सेटलमेन्ट विभाग को उक्त नये नम्बरान् को चरागाह अंकित करने ओर मिलान क्षेत्रफल में दीगर नम्बरान् से बनना बताने का कोई अधिकार नहीं था। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही अवैध अमान्य व प्रभाव शून्य कार्यवाही हैं। जिसके आधार पर अप्रार्थीगण को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। उक्त अवैध कार्यवाही व गलत अंकन का प्रार्थीगण को कतई ज्ञान नहीं था। सर्वप्रथम दिनांक 07.10.2012 को प्रार्थी नम्बर 1 अपनी उक्त भूमि पर था, कि कोली समाज के कई लोग मौके पर आये और प्रार्थी नम्बर 1 को धमकी दी कि उक्त [illegible] भूमि में से 2980 रकबा 0.58 है0 हमारी संस्थान को आवंटन हो चुकी है। [illegible] भूमि से तुम्हे बेदखल कर कब्जा करेंगे। तब दिनांक 08.10.2012 को पटवारी हल्का से [illegible] हुआ कि दिनांक 02.02.2012 को अप्रार्थी नम्बर 07 को उक्त भूमि [illegible] हेतु आवंटन कर दिया है। तब प्रार्थीगण ने दिनांक 10.10.2012 को उक्त [illegible] की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 11.10.2012 को मिली। रामस्वरूप द्वारा उसी दिन अन्य प्रार्थीगण को बताने पर उन्हें जानकारी हुई। तब जिला कलक्टर के आदेश के विरूद्ध

लगातार ....3....

13

अपील प्रस्तुत की। पुनः दिनांक 11.10.2012 को प्रार्थी रामस्वरूप अपनी उक्त भूमि पर था कि कोली समाज के कई लोग अपने साथ अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 6 को लेकर मौके पर आ गये तथा अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 6 ने धमकी दी कि उक्त भूमि को खाली करके इन्हें संभला दो अन्यथा हम इनका साथ देकर तुम्हें मौके से बेदखल करायेगें और इनसे तुम्हारे खिलाफ छुआछूत का मुकदमा लगाकर हम गवाह देगें व तुम्हें बन्द कराकर इनका कब्जा करायेगें। अतः बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा करना लाजिम आया व अधिघोषणा कराना एवं दुरूस्ती कराना व अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक हो गया व जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 02.02.2012 को बमुकाबले प्रार्थीगण अवैध व प्रभावशून्य घोषित कराना तथा वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक हो गया। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है। सुविधा की तुला भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 को वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करें कि वाके दौसा कलां में स्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा नंबर 2980 रकबा 0.58 है0, खसरा नंबर 2985 रकवा 0.98 है0, खसरा नंबर 2986 रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 2987 रकबा 1.05 है0, खसरा नंबर 2988 रकवा 0.36 है0 के कब्जे प्रार्थीगण में प्रतिवादीगण 01 लगायत 8 स्वयं अपने एजेण्टों, नौकरों रिश्तेदारो से कोई दखल नहीं पहुँचावे व उक्त भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल व कोई निर्माण कार्य नहीं करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 एवं 8 की ओर से बावजूद तामील अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 07 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि खसरा नम्बर 2980 रकबा 0.58 है0 अप्रार्थी संख्या 7 की खातेदारी व कब्जे की भूमि है जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है। राजस्थान सरकार की ओर से जिला कलक्टर, दौसा ने दिनांक 02.02.2012 को आदेश क्रमांकः आर11एस(39)2009/777 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 7 को समाज के छात्रावास हेतु 30 वर्ष के लिए आवंटित की है व उक्त आदेश की पालना में दिनांक 29.04.2012 को उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 7 का भौतिक रूप से कब्जा करवा दिया गया, जिसके बाद उक्त संस्था द्वारा उक्त भूमि में दिनांक 03.08.2012 को भूमि पूजन कर हॉस्टल के लिए शिलान्यास तत्कालीन जिला कलक्टर श्री आर.एस. जाखड द्वारा तत्कालीन उप जिला कलक्टर, दौसा, तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। आदेश दिनांक 22.03.2012 के द्वारा उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 7 के नाम अमल–दरामद करने का आदेश पारित किया गया। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 7 के हक में लीज डीड पट्टा विलेख तहरीर व तकमील होकर जारी हुआ है एवं वर्तमान में उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 7 की खातेदारी व कब्जे की है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 7 का 5 [illegible] हॉस्टल बना हुआ है व उसके चारों ओर बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है एवं अभी भी नि[illegible] का[illegible] रहा है। हाल खसरा नम्बर 2980 रकबा 0.58 है0 के पूर्व खसरा नम्बर 1090 थे एवं [illegible]90 से प्रार्थीगण का पूर्व में किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं रहा एवं प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1090 की कोई जमाबंदी भी जानबूझकर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है। खसरा न[illegible] 1090 सम्वत 2032 से 3035 में भी चरागाह के रूप में दर्ज थी एवं नये नम्बरों में इसी भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 7 को किया

लगातार ....4....

(13)

गया है, जो विधिवत तरीके से किया गया है। न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय दिनांक 11.08.2016 के द्वारा भी उक्त आवंटन बहाल रहा है। उक्त भूमि की बाउण्ड्रीवाल दुर्गालाल सैनी ठेकेदार से करवाई गई थी एवं अन्दर के भवन का निर्माण घासीलाल महावर ठेकेदार से करवाया गया है। प्रार्थीगण ने जिला कलक्टर दौसा के आदेश को भी न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी के यहां चुनौती दे रखी है एवं उसमें जो तथ्य वर्णित किये हैं व जो घटनाएं बताई है, उनमें व वाद पत्र की घटनाओं में भारी विरोधाभास है एवं प्रार्थीगण क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं। प्रार्थी रामस्वरूप काफी लम्बे समय तक निजामत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहा है एवं उसने कई प्रकार के दांवपेच खेलकर उक्त सम्पत्ति को हडप करने की एक योजना बनाई है। जिसके तहत उसने अपने परिवारजन के साथ मिलकर बिल्कुल झूंठा एवं बेबुनियाद वाद न्यायालय के समक्ष पेश किया है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है एवं प्रार्थीगण का वाद व प्रार्थना–पत्र विशेष हर्जे पर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज करें।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से बहस के दौरान कथन किया कि प्रश्नगत भूमि के सैटलमेन्ट पूर्व खसरा नम्बर 1110 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा थे, जिसके खातेदार रामस्वरूप, नानगा पुत्र धन्ना थे। खसरा नम्बर 1110 के एकीकरण पूर्व खसरा नम्बर 2460, 2461, 2466/5, 2467 थे। सेटलमेन्ट बाद उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 2980, 2985, 2986, 2987, 2988 बने। उक्त नये नम्बरों में से खसरा नम्बर 2980 के अलावा बाकी पर प्रार्थीगण का कब्जा है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 2980 पर अप्रार्थी संख्या 7 का कब्जा स्वीकार किया गया, जिसके लिए बेदखली का वाद लायेगें। मौके की स्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया गया।

अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से बहस के दौरान कथन किया कि खसरा नम्बर 2980 पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। अतः कब्जे के बिना पाबन्द नही किया जा सकता है। भूमि खसरा नम्बर 2980 जिला कलक्टर दौसा ने दिनांक 02.02.2012 को अप्रार्थी संख्या 7 को विधिवत आवंटन की है। उक्त आवंटन की प्रार्थीगण की ओर से की गई अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी द्वारा खारिज कर आंवटन बहाल रखा गया है। खातेदार को पावन्द नहीं किया जा सकता है। खसरा नम्बर 2980 पर अप्रार्थी संख्या 7 का कब्जा है तथा मौके पर छात्रावास का निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल हो रहा है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी सं0–07 की ओर से अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैः–

1. 2019 (1) DNJ Raj. 101
2. 2014 (2) DNJ Raj. 612
3. 2014 (3) DNJ Raj. 1070
4. 2015 (1) DNJ Raj. 227

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस प[illegible]या गया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के संबंध [illegible] निम्न प्रकार हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली [illegible] जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2980 [illegible] हे0, [illegible] नम्बर 2985 रकबा 0.98 हे0,

लगातार.....5.....

खसरा नंबर 2986 रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 2987 रकबा 1.05 है0, खसरा नंबर 2988 रकबा 0.36 है0 चरागाह दर्ज रिकार्ड है, जिसमें से खसरा नम्बर 2980 रकबा 0.58 है0 भूमि जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 02.02.2012 द्वारा अप्रार्थी संख्या 7 को आवंटन की गई है। उक्त आवंटन के विरूद्ध प्रार्थीगण की ओर से की गई अपील न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 11.08.2016 द्वारा खारिज कर आंवटन आदेश दिनांक 02.02.2012 को यथावत रखा गया है। उक्त भूमि का कब्जा अप्रार्थी संख्या 7 को दिनांक 29.02.2012 को संभलाया जा चुका है, इस बात की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध सुपुर्दगीनामा दिनांक 29.02.2012 से होती है। अप्रार्थी संख्या 7 ने मौके पर छात्रावास एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया हुआ है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 7 का कब्जा प्रार्थीगण की ओर से भी बहस के दौरान स्वीकार किया गया है। चूँकि प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।

2. सुविधा का संतुलन :– प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें उनका नाम उक्त भूमि के खातों में अंकित हो। प्रश्नगत भूमि चरागाह दर्ज रिकार्ड है, जिसमें से खसरा नम्बर 2980 रकबा 0.58 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 7 को विधिवत आवंटन की गई है एवं उस पर अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से छात्रावास एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया हुआ है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 2980 रकबा 0.58 है0 पर अप्रार्थी संख्या 7 का कब्जा होना प्रार्थीगण की ओर से भी स्वीकार किया गया है। प्रार्थीगण अपना पक्ष साबित करने मे विफल रहा है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नहीं होता है।

3. अपूर्णीय क्षति:– आराजी खसरा नम्बर 2980 रकबा 0.58 है0, खसरा नंबर 2985 रकबा 0.98 है0, खसरा नंबर 2986 रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 2987 रकबा 1.05 है0, खसरा नंबर 2988 रकबा 0.36 है0 चरागाह दर्ज रिकार्ड है, जिसमें से खसरा नम्बर 2980 रकबा 0.58 है0 अप्रार्थी संख्या 7 को आवंटन हो चुकी है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं है। प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। अतः प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है।

आराजी खसरा नम्बर 2980 रकबा 0.58 है0, खसरा नंबर 2985 रकबा 0.98 है0, खसरा नंबर 2986 रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 2987 रकबा 1.05 है0, खसरा नंबर 2988 रकबा 0.36 है0 चरागाह दर्ज रिकार्ड है, जिसमें से खसरा नम्बर 2980 रकबा 0.58 है0 अप्रार्थी संख्या 7 को आवंटन हो चुकी है तथा वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 7 उस पर काबिज है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)